

का. आ. सं. Office Order No. HO/069/005

दिनांक / Date: 19.05.2026

विषय - संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति (परिशोधित)

Sub: Related Party Transactions Policy (Revised)

संदर्भ - कार्यालय आदेश सं. प्रका/069/004 दिनांक 29.03.2025 (यथा संशोधित)

Ref: Office Order No. HO/069/004 dated 29.03.2025 (as amended)

-000-

1.0 परिचय / INTRODUCTION

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (कंपनी) यह मानती है कि कतिपय संबंध हित के संभावित या वास्तविक संघर्ष उत्पन्न कर सकते हैं और और इस विषय पर सवाल उठा सकते हैं कि ऐसे संबंधों से संबंधित लेनदेन कंपनी उसके पणधारकों के सर्वोत्तम हितों के अनुरूप हैं या नहीं।

Bharat Electronics Limited (the "Company") recognizes that certain relationships can present potential or actual conflicts of interest and may raise questions about whether transactions associated with such relationships are consistent with Company's and its stakeholders' best interests.

कंपनी को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करना होगा कि संबंधित पक्षकार के कतिपय लेनदेन (जैसा कि नीचे परिभाषित किया गया है) उन सख्त कानूनी और लेखा आवश्यकताओं के अनुसार प्रबंधित और प्रकट किए जाते हैं जिसके अधीन कंपनी प्रचालित होती है।

The Company must specifically ensure that certain Related Party Transactions (as defined below) are managed and disclosed in accordance with the strict legal and accounting requirements to which the Company is subject.

इसलिए, संबंधित पक्षकार लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन के संबंध में यह परिशोधित नीति कंपनी के निदेशक मंडल ("मंडल") द्वारा अपनाई गई है ताकि उन प्रक्रियाओं को निर्धारित किया जा सके जिनके तहत कुछ लेनदेन की समीक्षा और अनुमोदन या अनुसमर्थन किया जाना चाहिए।

Therefore, this Revised Policy regarding the review and approval of Related Party Transactions has been adopted by the Company's Board of Directors ("the Board") in order to set forth the procedures under which certain transactions must be reviewed and approved or ratified.

सेबी (सूचीबद्धता के दायित्व एवं प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 संबंधित पक्षकारों के साथ लेनदेन की वास्तविकता और संबंधित पक्षकार लेनदेन से निपटने पर एक नीति तैयार करने का आदेश देते हैं। अपने कार्पोरेट शासन पद्धतियों के तहत, कंपनी के मंडल ने संबंधित पक्षकार लेनदेन के संबंध में निम्नलिखित परिशोधित नीति और प्रक्रिया अपनाई है।

The SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 mandates formulation of a policy on Materiality of transactions with Related Parties and dealing with Related Party Transactions. As part of its corporate governance practices, the Board of the Company has adopted the following Revised policy and procedure with regard to Related Party Transactions.

2.0 अनुप्रयोजनीयता और प्रभावी तारीख / APPLICABILITY AND EFFECTIVE DATE

यह परिशोधित नीति लागू कानूनों और विनियमों के आधार पर कंपनी और उसके संबंधित पक्षकारों के बीच लेनदेन को नियंत्रित करने के लिए कंपनी पर 19 दिसंबर 2025 से लागू होगी।

The Revised Policy will be applicable to the Company with effect from 19th December 2025 to regulate transactions between the Company and its Related Parties based on the applicable laws and regulations.

3. उद्देश्य / PURPOSE

यह नीति सेबी (सूचीबद्धता की बाध्यताएं एवं प्रकटन की आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) की आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की गई है और कंपनी अधिनियम, 2013 के लागू प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए भी तैयार की गई है जिसमें धारा 188 के प्रावधान भी शामिल हैं, ऐसे लेनदेन का वर्गीकरण करने के लिए जिनके लिए नीचे पैरा 5.2 में उल्लिखित लेखापरीक्षा समिति, मंडल और शेयरधारकों का अनुमोदन अपेक्षित है और इसका आशय कंपनी और उसके संबंधित पक्षकारों के बीच लेनदेन की गवर्नेंस और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

This Policy is framed based on the requirements of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) and also to comply with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 including provisions of Section 188, categorizing the transactions which require the approval of Audit Committee, Board & Shareholders as mentioned in para 5.2 below and is intended to ensure the governance and reporting of transactions between the Company and its Related Parties.

4. परिभाषाएँ / DEFINITIONS

"अधिनियम" से आशय कंपनी अधिनियम 2013 और उसके तहत बनाए गए नियमों से होगा जिसमें कोई आशोधन, संशोधन, स्पष्टीकरण, परिपत्र शामिल होंगे।

"Act" shall mean the Companies Act 2013 and the Rules framed thereunder, including any modifications, amendments, clarifications, circulars thereof.

"स्वतंत्र संव्यवहार आधार" इस अधिनियम की धारा 188 (1) के स्पष्टीकरण (बी) के अनुसरण में से आशय दो संबंधित पक्षकारों के बीच ऐसे लेनदेन से है जो ऐसे संचालित किए जाते हैं मानो वे संबंधित न हों, ताकि कोई हित-संघर्ष न हो। स्वतंत्र संव्यवहार निर्धारित करने के लिए, आय कर अधिनियम, 1961 के तहत अंतरण मूल्य-निर्धारण के प्रावधानों से मार्गदर्शन लिया जा सकता है।

"Arm's Length basis" in pursuance of Explanation (b) to Section 188 (1) of the Act means a transaction between two related parties that is conducted as if they were unrelated, so that there is no conflict of interest. For determination of Arm's Length basis, guidance may be taken from provisions of Transfer Pricing under Income Tax Act, 1961.

"सहयोगी कंपनी" अधिनियम की धारा 2(6) के अनुसार, से आशय ऐसी अन्य कंपनी से है जिसमें कंपनी का महत्वपूर्ण प्रभाव है परंतु जो कंपनी की सहायक कंपनी नहीं है और जिसका ऐसा प्रभाव है और जिसमें संयुक्त उद्यम कंपनी शामिल है।

"Associate Company" in pursuance of Section 2 (6) of the Act means any other company, in which the Company has a significant influence, but which is not a Subsidiary company of the Company having such influence and includes a joint venture company.

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ - (ए) "महत्वपूर्ण प्रभाव" पद से आशय कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत का नियंत्रण या किसी करार के तहत कारोबारी निर्णयों में नियंत्रण या भागीदारी से है, (बी)

"संयुक्त उद्यम" पद से आशय ऐसी संयुक्त व्यवस्था से है जिसमें ऐसे पक्षकार जिनका प्रबंध का संयुक्त नियंत्रण है, को व्यवस्था की निवल परिसंपत्तियों का अधिकार है।

Explanation: For the purposes of this clause- (a) the expression "significant influence" means control of at least twenty percent of total voting power, or control of or participation in business decisions under an agreement; (b) the expression "joint venture" means a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement.

"लेखापरीक्षा समिति" या "समिति" से आशय कंपनी के निदेशक मंडल की "लेखापरीक्षा समिति" से है।

"Audit Committee" or "Committee" means "Audit Committee" of the Board of Directors of the Company.

"निदेशक मंडल" या "मंडल" से आशय कंपनी के निदेशक मंडल से है।

"Board of Directors" or "Board" means the Board of Directors of the Company.

"सीपीएसयू" से आशय केंद्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से है।

"CPSU" means Central Public Sector Undertaking.

"कंपनी" से आशय भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) से है।

"Company" means Bharat Electronics Limited (BEL).

"सरकारी कंपनी" से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (45) के तहत सरकारी कंपनी के रूप में परिभाषित और समय-समय पर यथा संशोधित कंपनी से है।

"Government Company" means a Company defined as Government Company under Section 2 (45) of the Companies Act, 2013 and as amended from time to time.

"मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" या "केएमपी" से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) में यथा परिभाषित और समय-समय पर यथा संशोधित "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" से है।

"Key Managerial Personnel" or "KMP" shall mean "Key Managerial Personnel" as defined in section 2(51) of the Companies Act, 2013 and as amended from time to time.

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (51) के तहत "मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक" इस प्रकार हैं -

"Key Managerial Personnel" under section 2(51) of the Companies Act, 2013 are:

- (i) मुख्य कार्यपालक अधिकारी या प्रबंध निदेशक या प्रबंधक (i) यानी बीईएल के संबंध में सीएमडी, the Chief Executive Officer or the managing director or the manager (i) viz., CMD i.r.o BEL,
- (ii) कंपनी सचिव, the Company Secretary,
- (iii) पूर्णकालिक निदेशक, the Whole-time Director,
- (iv) मुख्य वित्तीय अधिकारी यानी निदेशक मंडल द्वारा बीईएल के सीएफओ के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत कार्यपालक/निदेशक, और the Chief Financial Officer viz., an executive / Director authorized by the Board to act as CFO i.r.o of BEL, and .
- (v) ऐसा अन्य अधिकारी जो इस हेतु निर्दिष्ट किया जाए। such other officer as may be prescribed.

"संबंधित पक्षकार के महत्वपूर्ण लेनदेन" से आशय ऐसे लेनदेन से है जो किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए जाने हैं या पिछले लेनदेन के साथ एक साथ किए जाने हैं, जो निम्नलिखित से अधिक है -

“Material Related Party Transaction” means a transaction with a Related Party if the transaction/ transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceeds the following:

सूचीबद्ध सत्व की सीमा का समेकित आवर्त Consolidated Turnover of Listed Entity Threshold	ऊपरी सीमा Threshold
(i) 20,000 करोड़ रु. तक Up to ₹20,000 Crore	सूचीबद्ध सत्व के समेकित वार्षिक कारोबार का 10% 10% of the annual consolidated turnover of the listed entity
(ii) 20,000 करोड़ रु. से अधिक परंतु 40,000 करोड़ तक More than ₹20,000 Crore to upto ₹40,000 Crore	2,000 करोड़ रु. + 20,000 करोड़ रु. से अधिक के सूचीबद्ध निकाय के वार्षिक समेकित कारोबार का 5% ₹2,000 Crore + 5% of the annual consolidated turnover of the listed entity above ₹20,000 Crore
(iii) 40,000 करोड़ रु. से अधिक More than ₹40,000 Crore	3,000 करोड़ रु. + 40,000 करोड़ रु. या 5000 करोड़ रु., इनमें से जो भी कम हो, से अधिक राशि वाले सूचीबद्ध सत्व के वार्षिक समेकित कारोबार का 2.5% ₹3,000 Crore + 2.5% of the annual consolidated turnover of the listed entity above ₹40,000 Crore or ₹5000 Crores, whichever is lower.

स्पष्टीकरण - ऊपर उल्लिखित सीमाओं की गणना करने के प्रयोजनार्थ, सूचीबद्ध सत्व का समेकित वार्षिक कारोबार सूचीबद्ध सत्व के अंतिम लेखापरीक्षा किए गए वित्तीय विवरणों के आधार पर निर्धारित किया जाएगा।

Explanation: For the purpose of computing the thresholds stated above, the annual consolidated turnover of the listed entity shall be determined based on the last audited financial statements of the listed entity.

ब्रांड उपयोग या रॉयल्टी के लिए संबंधित पक्षकार को भुगतान से संबंधित लेनदेन के मामले में, इसे महत्वपूर्ण माना जाएगा, यदि किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले लेनदेन या पिछले लेनदेन के साथ लिए जाने हैं, तो कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कंपनी के वार्षिक समेकित कारोबार के 5% से अधिक है।

In case of transaction involving payment to a Related Party for brand usage or royalty, it will be considered material, if the transaction(s) to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, exceed 5% percent of the annual consolidated turnover of the Company as per the last audited financial statements of the Company.

"महत्वपूर्ण आशोधन" / "Material Modifications"

कंपनी के संबंध में संबंधित पक्षकार लेनदेन के महत्वपूर्ण आशोधन से आशय ऐसे पक्षकार विद्यमान लेनदेन से है जिसमें, यथास्थिति, लेखापरीक्षा समिति / मंडल / शेयरधारकों द्वारा मंजूर की गई विद्यमान सीमा के 25% की विसंगति हो।

Material modification of Related Party Transaction in relation to Company means and include any modification to an existing related party transaction having variance of 25% of the existing limit as sanctioned by the Audit Committee/ Board /Shareholders, as the case may be.

"कारोबार के सामान्य क्रम" में कंपनी और/या उसके कारोबार के सभी सामान्य लेनदेन, रीति-रिवाज और व्यवहार शामिल होंगे।

"**Ordinary Course of Business**" shall cover all the usual transactions, customs and practices of the company and / or its line of business.

"नीति" से आशय कंपनी की संबंधित पक्षकार लेनदेन नीति से है।

"**Policy**" means Related Party Transaction Policy of the Company.

"संबंधित पक्षकार" से आशय ऐसे व्यक्ति या सत्व से है -

"**Related Party**" means a person or an entity:

(A) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 (76) के तहत "संबंधित पक्षकार"।
"**Related party**" under section 2(76) of the Companies Act, 2013

कंपनी के संदर्भ में "संबंधित पक्षकार" का अर्थ है-

"**Related Party**" with reference to a Company, means:

i) निदेशक या उसका संबंधी;
a director or his relative;

ii) मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनका रिश्तेदार;
a key managerial personnel or his relative;

iii) ऐसी फर्म जिसमें निदेशक, प्रबंधक या उसका रिश्तेदार भागीदार हो;
a firm, in which a director, manager or his relative is a partner;

iv) निजी कंपनी जिसमें निदेशक या प्रबंधक या उनका रिश्तेदार सदस्य या निदेशक है;
a private company in which a director or manager or his relative is a member or director;

v) ऐसी सरकारी कंपनी जिसमें एक निदेशक या प्रबंधक निदेशक है और अपने रिश्तेदारों के साथ अपनी चुकता शेयर पूंजी के दो प्रतिशत से अधिक रखता है;
a public company in which a director or manager is a director and holds along with his relatives, more than two percent of its paid-up share capital;

vi) कोई कॉर्पोरेट निकाय जिसका निदेशक मंडल, प्रबंध निदेशक या प्रबंधक, निदेशक या प्रबंधक की सलाह, निर्देशों या अनुदेशों के अनुसार कार्य करने के अभ्यस्त है;
any body corporate whose board of directors, managing director or manager is accustomed to act in accordance with the advice, directions or instructions of a director or manager;

vii) कोई व्यक्ति जिसकी सलाह, निर्देश या अनुदेश पर कोई निदेशक या प्रबंधक कार्य करने के अभ्यस्त है-
any person on whose advice, directions or instructions a director or manager is accustomed to act;

परंतु यह कि उपर्युक्त (vi) और (vii) की कोई बात पेशेवर क्षमता में दी गई सलाह, निदेश या अनुदेश पर लागू नहीं होगी;

Provided that nothing in (vi) and (vii) above shall apply to the advice, directions or instructions given in a professional capacity;

viii) कंपनी जो

any company which is—

- a) ऐसी कंपनी की धारक, सहायक या सहयोगी कंपनी है; या
a holding, subsidiary or an associate company of such company; or
- b) किसी धारक कंपनी की सहायक कंपनी जिसकी वह सहायक कंपनी भी हो;
a subsidiary of a holding company to which it is also a subsidiary;
- c) कंपनी की निवेश करने वाली कंपनी या उद्यमी;
an investing company or the venturer of the company;

स्पष्टीकरण - इस खंड के प्रयोजनार्थ, "कंपनी" में निवेश करने वाले कंपनी या उद्यम करने वाले से आशय ऐसे निकाय कार्पोरेट से है जिसका कंपनी में निवेश करने से कंपनी निकाय कार्पोरेट की सहयोगी कंपनी बन जाएगी।"

Explanation: For the purpose of this clause, "the investing company or the venturer of a company" means a body corporate whose investment in the company would result in the company becoming an associate company of the body corporate.

(ix) कंपनी के संदर्भ में निदेशक (स्वतंत्र निदेशक को छोड़कर) या धारक कंपनी के मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार को संबंधित पक्षकार माना जाएगा।

Director (other than an independent director) or Key Managerial Personnel of the holding company or his relative with reference to a company, shall be deemed to be a Related Party.

(बी) इंड-एस 24 के अनुसरण में "संबंधित पक्षकार" का आशय ऐसे व्यक्ति या अपना वित्तीय विवरण तैयार करने वाले ऐसे सत्व से है जो सत्व से संबंधित है (जिसे "रिपोर्टिंग सत्व" कहा गया है)।

(B) "Related Party" in pursuance of Ind-AS 24, is a person or entity that is related to the entity that is preparing its financial statements (referred to as the 'reporting entity').

a) ऐसा व्यक्ति या उस व्यक्ति के परिवार का कोई नज़दीकी सदस्य जो रिपोर्ट करने वाले सत्व से संबंधित है, यदि वह व्यक्ति -

A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:

- i) रिपोर्टिंग करने वाले सत्व का नियंत्रण या संयुक्त नियंत्रण है,
has control or joint control of the reporting entity,.
- ii) रिपोर्ट करने वाले सत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव रखता है, या
has significant influence over the reporting entity, or
- iii) रिपोर्टिंग करने वाले सत्व के प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों का सदस्य या रिपोर्टिंग सत्व का मूल सत्व है।
is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.

b) सत्व रिपोर्टिंग सत्व से संबंधित होगा यदि निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी शर्त लागू होती है-
An entity is related to a reporting entity if any of the following conditions applies:

i) सत्व और रिपोर्टिंग सत्व एक ही समूह के सदस्य हैं (जिसका अर्थ है कि प्रत्येक मूल सत्व, सहायक और सह-सहायक कंपनी से संबंधित हैं)।

The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).

ii) एक सत्व अन्य सत्व का सहयोगी या संयुक्त उद्यम होता है (या किसी सत्व समूह के सदस्य का सहयोगी या संयुक्त उद्यम होता है जिसमें अन्य सत्व सदस्य होता है)।

One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).

- iii) दोनों सत्व एक ही तृतीय पक्षकार के संयुक्त उद्यम हैं।
Both entities are joint ventures of the same third party.
- iv) एक सत्व किसी तृतीय सत्व का संयुक्त उद्यम है और दूसरा सत्व किसी तृतीय सत्व का सहयोगी है।
One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.
- v) सत्व रिपोर्टिंग सत्व या रिपोर्टिंग सत्व से संबंधित सत्व के कर्मचारियों के हित के लिए नियोजन के बाद की अनुलाभ योजना है। यदि रिपोर्टिंग सत्व स्वयं ऐसी योजना है, तो प्रायोजक नियोक्ता रिपोर्टिंग सत्व से भी संबंधित हैं।
The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is itself such a plan, the sponsoring employers are also related to the reporting entity.
- vi) सत्व (ए) में अभिचिह्नित व्यक्ति द्वारा नियंत्रित है या संयुक्त रूप से नियंत्रित है।
The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a).
- vii) (ए) (i) में अभिचिह्नित व्यक्ति का सत्व पर महत्वपूर्ण प्रभाव है या सत्व (या सत्व के मूल सत्व) के प्रमुख प्रबंधन कार्मिक का सदस्य है।
A person identified in (a)(i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii) सत्व या ऐसे समूह का कोई भी सदस्य जिसका वह हिस्सा है, रिपोर्टिंग सत्व या रिपोर्ट करने वाले सत्व के मूल सत्व को प्रमुख प्रबंधन कार्मिक सेवाएं प्रदान करता है।
The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

**(C) सेबी (एलओडीआर) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के अनुसरण में "संबंधित पक्षकार"
"Related Party" in pursuance to SEBI (LODR) Regulations, 2015 (as amended)**

"संबंधित पक्षकार" से आशय कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (76) के तहत या लागू लेखा मानकों के तहत यथा परिभाषित संबंधित पक्षकार से है।

"Related Party" means a related party as defined under sub-section (76) of section 2 of the Companies Act, 2013 or under the applicable accounting standards.

बशर्ते कि / Provided that:

- a) कोई व्यक्ति या सत्व जो सूचीबद्ध सत्व के प्रवर्तक या प्रवर्तक समूह का भाग है, या
any person or entity forming part of the promoter or promoter group of the listed entity, or.
- b) कोई व्यक्ति या सत्व, जिसके पास कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 89 के तहत पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किसी भी समय, प्रत्यक्ष रूप से या हितकारी हित के आधार पर, सूचीबद्ध सत्व में दस प्रतिशत या उससे अधिक इक्विटी शेयर हैं, संबंधित पक्षकार समझा जाएगा।
any person or entity, holding equity shares of ten percent or more in the listed entity either directly or on a beneficial interest basis as provided under section 89 of the Companies Act, 2013, at any time, during the immediate preceding financial year shall be deemed to be a related party.

"संबंधित पक्षकार के लेनदेन" / "Related Party Transactions"

(A) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत / Under the Companies Act, 2013

निम्नलिखित के संबंध में कंपनी और संबंधित पक्षकार के बीच किसी भी ठेके या व्यवस्था को संबंधित पक्षकार लेनदेन (आरपीटी) माना जाएगा -

Any contract or arrangement between the Company and Related Party with respect to the following shall be considered as a Related Party Transactions (RPTs):

- i) किसी माल या सामग्री का विक्रय, खरीद या आपूर्ति,
sale, purchase or supply of any goods or materials,
- ii) किसी भी प्रकार की संपत्ति को बेचना या अन्यथा उसका निपटान करना या खरीदना,
selling or otherwise disposing of, or buying, property of any kind,
- iii) किसी भी प्रकार की संपत्ति को पट्टे पर देना,
leasing of property of any kind,
- iv) किसी सेवा का लाभ उठाना या प्रदान करना,
availing or rendering of any services,
- v) माल, सामग्रियों, सेवाओं या संपत्ति की खरीद या बिक्री के लिए किसी एजेंट की नियुक्ति,
appointment of any agent for purchase or sale of goods, materials, services or property,
- vi) कंपनी, उसकी सहायक कंपनी या सहयोगी कंपनी में किसी लाभ के पद या स्थान पर ऐसे संबंधित पक्षकार की नियुक्ति, और
such related party's appointment to any office or place of profit in the company, its subsidiary company or associate company, and.
- vii) कंपनी की किसी प्रतिभूति या उसके व्युत्पन्नों के अभिदान को हामीदारी देना।
Underwriting the subscription of any securities or derivatives thereof of the Company.

स्पष्टीकरण "संबंधित पक्षकार के साथ किए गए लेनदेन का यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसमें एकल लेनदेन या लेनदेन के समूह को ठेके में शामिल किया गया है।"

Explanation "A transaction with a related party shall be construed to include single transaction or a group of transactions in a contract."

(B) सूचीबद्धता के विनियमों के अनुसार / As per Listing Regulations

"संबंधित पक्षकार लेनदेन" से आशय ऐसे लेनदेन से है जिसमें निम्नलिखित के बीच संसाधनों, सेवाओं या दायित्वों का अंतरण शामिल है।

A "Related Party Transaction" means a transaction involving a transfer of resources, services or obligations between:

- i) एक ओर सूचीबद्ध सत्व या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी ओर सूचीबद्ध सत्व या उसकी किसी सहायक कंपनी से संबंधित पक्षकार, या
a listed entity or any of its subsidiaries on one hand and a related party of the listed entity or any of its subsidiaries on the other hand, or.
- ii) एक तरफ कोई सूचीबद्ध सत्व या उसकी कोई सहायक कंपनी और दूसरी तरफ कोई अन्य व्यक्ति या सत्व जिसका उद्देश्य और प्रभाव 1 अप्रैल, 2023 से सूचीबद्ध सत्व या उसकी किसी सहायक कंपनी के किसी संबंधित पक्षकार को लाभान्वित करना है, चाहे कीमत प्रभारित हो या न हो और किसी संबंधित

पक्षकार के साथ "लेनदेन" का अर्थ इस प्रकार लगाया जाएगा कि उसमें ठेके में एकल लेनदेन या लेनदेन का समूह शामिल होगा।

a listed entity or any of its subsidiaries on one hand, and any other person or entity on the other hand, the purpose and effect of which is to benefit a related party of the listed entity or any of its subsidiaries, with effect from April 1, 2023, regardless of whether a price is charged and a "transaction" with a related party shall be construed to include a single transaction or a group of transactions in a contract.

बशर्ते कि निम्नलिखित संबंधित पक्षकार लेनदेन न हो -

Provided that the following shall not be a related party transaction:

- a) भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (पूंजी एवं प्रकटन अपेक्षाओं का निर्गम) विनियम, 2018 की अपेक्षाओं के अनुपालन के अधीन रहते हुए अधिमानी आधार पर विनिर्दिष्ट प्रतिभूतियों को जारी करना,
the issue of specified securities on a preferential basis, subject to compliance of the requirements under the Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, .
- b) निम्नलिखित कापोरेट कार्य जो सभी शेयरधारकों को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में समान रूप से लागू / प्रस्तावित हैं -
the following corporate actions which are uniformly applicable/offered to all shareholders in proportion to their shareholding:
 - i) लाभांश का भुगतान,
payment of dividend,
 - ii) प्रतिभूतियों का उप खंड या समेकन,
subdivision or consolidation of securities,
 - iii) राइट इश्यू या बोनस इश्यू के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करना तथा
issuance of securities by way of a rights issue or a bonus issue, and
 - iv) प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद।
buy-back of securities.
- c) सभी शेयरधारकों/जनता पर समान रूप से लागू/प्रस्तावित शर्तों पर बैंकों/गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा सावधि जमा की स्वीकृति, बशर्ते कि निदेशक मंडल द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में प्रत्येक छह महीनों में स्टॉक एक्सचेंज को संबंधित पक्षकार लेनदेन के प्रकटीकरण के साथ-साथ इसका प्रकटन किया जाए।
acceptance of fixed deposits by banks/Non-Banking Finance Companies at the terms uniformly applicable/offered to all shareholders/public, subject to disclosure of the same along with the disclosure of related party transactions every six months to the stock exchange(s), in the format as specified by the Board;
- d) समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक या संबंधित अधिकार क्षेत्र के किसी अन्य केंद्रीय बैंक द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन करते हुए बैंकों द्वारा चालू खाता जमा और बचत खाता जमा की स्वीकृति -
acceptance of current account deposits and saving account deposits by banks in compliance with the directions issued by the Reserve Bank of India or any other central bank in the relevant jurisdiction from time to time:

स्पष्टीकरण - उपर्युक्त खंड (सी) और (डी) के प्रयोजनार्थ, जमा की स्वीकृति में उस पर व्याज का भुगतान शामिल है।

Explanation: For the purpose of clauses (c) and (d) above, acceptance of deposits includes payment of interest thereon.

e) कारोबारी संबंध स्थापित किए बिना और ऐसी शर्तों पर जो सभी कर्मचारियों और निदेशकों पर समान रूप से लागू होती हैं, किसी सूचीबद्ध सत्व या उसकी सहायक कंपनी से उसके निदेशकों या उसके कर्मचारियों द्वारा खुदरा खरीद -

retail purchases from any listed entity or its subsidiary by its directors or its employees, without establishing a business relationship and at the terms which are uniformly applicable/offered to all employees and directors:

यह और कि यह परिभाषा म्यूचुअल फंडों द्वारा जारी ऐसी यूनिटों पर लागू नहीं होगी जो मान्यताप्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध हैं,

Provided further that this definition shall not be applicable for the units issued by mutual funds which are listed on a recognised stock exchange(s);

"रिश्तेदार" - अधिनियम की धारा 2 (77) के अनुसार, किसी व्यक्ति के संदर्भ में "रिश्तेदार" से आशय ऐसे व्यक्ति से है जो किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है, यदि -

"Relatives": "Relative", with reference to any person, in pursuance of Section 2 (77) of the Act, means anyone who is related to another, if -

- i. वे एक हिंदू अविभाजित परिवार के सदस्य हैं,
they are members of a Hindu Undivided Family, .
- ii. वे पति और पत्नी हैं, या
they are husband and wife, or
- iii. एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से संबंधित है।
one person is related to the other person.

उपर्युक्त (iii) के प्रयोजनार्थ, एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति का रिश्तेदार तब माना जाएगा, जब वह निम्नलिखित तरीके से किसी अन्य व्यक्ति से संबंधित है -

For the purpose of (iii) above, one person shall deem to be the relative of another, if he or she is related to another person in the following manner namely:

- (a) पिता (सौतेला पिता सहित) / Father (including step-father)
- (b) माता (सौतेली मां सहित) / Mother (including step-mother)
- (c) पुत्र (सौतेले पुत्र सहित) / Son (including step-son)
- (d) पुत्र की पत्नी / Son's wife
- (e) पुत्री / Daughter
- (f) पुत्री का पति / Daughter's husband
- (g) भाई (सौतेले भाई सहित) / Brother (including step-brother)
- (h) बहन (सौतेली बहन सहित) / Sister (including step-sister)

"सेबी सूचीबद्धता विनियम" से आशय भारतीय सुरक्षा एवं विनियम बोर्ड (सूचीबद्धता बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 से है जिसमें उसके आशोधन, संशोधन, परिपत्र, स्पष्टीकरण शामिल हैं।

"SEBI Listing Regulations" means Security and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 including modifications, amendments, Circulars, clarifications thereto.

5. नीति / POLICY

5.1. संभावित पक्षकार के लेनदेन की पहचान करना Identification of potential Related Party Transactions

5.1.1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समूह की कंपनियां - Bharat Electronics Limited Group Companies:

भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड समूह की सभी कंपनियों (यानी बीईएल की सहायक, संयुक्त उद्यम कंपनियों और सहयोगी कंपनियों) को संबंधित पक्षकार माना जाएगा।

All the companies in Bharat Electronics Limited Group (i.e. the Subsidiaries, Joint Venture Companies and Associate companies of BEL) will be considered as Related Parties.

5.1.2. प्रकटण / Disclosures:

प्रत्येक निदेशक और मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक (केएमपी) मंडल को अपने रिश्तेदारों के नाम और ऐसी फर्मों / कंपनियों / निकाय के नाम जिसमें वे हितबद्ध हैं, प्रकट करेंगे। मंडल हित प्रकटन को अभिलिखित करेगा। कंपनी सचिव संबंधित पक्षकारों की अद्यतन सूची बनाए रखने के लिए जिम्मेदार होंगे। कंपनी सचिव यथा शीघ्र निदेशकों / केएमपी द्वारा किए गए प्रकटीकरण के विवरण के अनुसार ईआरपी प्रणाली (एसएपी) में आवश्यक विवरण अद्यतन करेंगे। इसके अलावा, कंपनी सचिव द्वारा प्रत्येक तिमाही के अंतिम सप्ताह तक संबंधित पक्षकारों की वर्तमान सूची और संबंधित तिमाही के दौरान किए गए परिवर्तनों को दर्शाने वाली तिमाही रिपोर्ट कापॉरेट वित्त को प्रस्तुत की जाएगी।

Each Director and Key Managerial Personnel (KMP) shall disclose to the Board, the names of his / her relatives and the names of the firms / companies / body corporates in which he /she is interested. The Board shall record the disclosure of Interest. The Company Secretary shall be responsible for maintaining the updated list of Related Parties. The Company Secretary shall, at the earliest, Update the necessary details in ERP system (SAP) as per the details of disclosures made by the Directors / KMPs. In addition, a quarterly report indicating the current list of Related Parties and changes made during the relevant quarter shall be submitted by Company Secretary to corporate finance by last week of each quarter.

5.1.3 कंपनी संबंधित पक्षकारों के साथ संभावित लेनदेन की पहचान करेगी। इन संबंधित पक्षकार लेनदेन को (ए) पूर्व अनुमोदन और (बी) नीचे दिए गए पैरा 5.2 में निर्धारित मानदंडों के आधार पर सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा।

The Company will identify the potential transactions with the Related Parties. These Related Party Transactions will be categorized as those requiring (a) prior approval and (b) omnibus approval based on the criteria laid down in Para 5.2 below in consultation with finance.

5.1.4. कापॉरेट वित्त संबंधित पक्षकार लेनदेन का विवरण प्राप्त करेगा और उसे कंपनी सचिव को प्रस्तुत करेगा जिसमें अनुमोदन प्रदान करने के लिए उचित प्राधिकारी नामतः लेखापरीक्षा समिति / निदेशक मंडल / शेयरधारकों को सूचित किया जाएगा।

Corporate Finance will obtain and forward to the Company Secretary, the details of related party transactions to be placed before the Audit Committee/Board duly indicating the appropriate authority for granting approval, namely, Audit Committee / Board of Directors / Shareholders.

5.2. संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन और समीक्षा

Approval and Review of Related Party Transactions

(I) लेखापरीक्षा समिति / Audit Committee:

सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन (महत्वपूर्ण संशोधन, यदि कोई हो, सहित) लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन से किए जाएंगे। ऐसे आरपीटी पर कार्रवाई प्रत्येक मामले के आधार पर विधिवत पूर्ण औचित्य और सभी संबंधित जानकारी देते हुए की जाएगी। इसके अलावा, केवल लेखापरीक्षा समिति के ऐसे सदस्य जो स्वतंत्र निदेशक हैं, सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 के विनियम 23 (2) के तहत संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन करेंगे।

All Related Party Transactions (including material modifications, if any) shall be entered into with prior approval of the Audit Committee. Such RPTs will be processed on case by case basis duly furnishing full justification and all relevant information. Further, only those members of the audit committee, who are independent directors, shall approve related party transactions under Regulation 23(2) of SEBI (LODR) Regulations 2015.

(II) एक करोड़ रुपये से अधिक के संबंधित पक्षकार लेनदेन, चाहे वह किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या पिछले लेनदेन के साथ किया गया हो, जिसमें बीईएल की सहायक कंपनी एक पक्षकार है लेकिन बीईएल एक पक्षकार नहीं है, को बीईएल की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी, जो निम्नानुसार होगा -

A Related Party Transaction above rupees one crore, whether entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year, to which the subsidiary of BEL is a party but BEL is not a party, shall require prior approval of the Audit Committee of BEL, as under:

a) लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण रखने वाली सहायक कंपनियों के लिए - यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य निम्नलिखित से अधिक होता है-

For subsidiaries having audited financials: if the value of such transactions, exceeds the lower of the following:

i. सहायक कंपनी के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरणों के अनुसार सहायक कंपनी के वार्षिक एकल कारोबार का 10%, या
10% of annual standalone turnover of the subsidiary as per the last audited financial statements of the subsidiary; or

ii. खंड 4 में यथा परिभाषित बीईएल के महत्वपूर्ण आरपीटी की ऊपरी सीमा।
The thresholds for material RPTs of BEL as defined in Clause 4.

b) सहायक कंपनियों के लिए कम से कम 1 वर्ष की अवधि के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण नहीं है, यदि ऐसे लेनदेन का मूल्य निम्न से अधिक होता है-

For subsidiaries does not have audited financial statements for a period of at least 1 year: if the value of such transaction, exceeds the lower of the following:

i. सहायक कंपनी की चुकता शेयर पूंजी + प्रतिभूति प्रीमियम के समग्र मूल्य का 10%, या
10% of aggregate value of paid-up share capital + securities premium of the subsidiary, or.

ii. खंड 4 में यथा परिभाषित बीईएल के महत्वपूर्ण आरपीटी की ऊपरी सीमा।
The thresholds for material RPTs of BEL as defined in Clause 4.

परंतु यह कि सहायक कंपनी के चुकता शेयर पूंजी और प्रतिभूति प्रीमियम खाते का समग्र मूल्य लेखापरीक्षा समिति का अनुमोदन प्राप्त करने की तारीख से तीन महीने पहले की तारीख को लिया जाएगा।

Provided that the aggregate value of paid-up share capital and securities premium account of the subsidiary shall be taken as on a date, not older than three months prior to the date of seeking approval of the audit committee.

इसके अलावा, बशर्ते कि ऐसे आरपीटी जिसमें उसकी सूचीबद्ध सहायक कंपनी एक पक्षकार है, लेकिन बीईएल एक पक्षकार नहीं है, के लिए बीईएल की लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी, यदि सेबी (एलओडीआर) विनियम 2015 का विनियम 23 और 15 (2) ऐसी सूचीबद्ध सहायक पर लागू होते हैं।

Provided further that prior approval of the audit committee of BEL shall not be required for a RPT to which its listed subsidiary is a party, but BEL is not a party, if regulation 23 and 15(2) of SEBI (LODR) Regulations 2015 are applicable to such listed subsidiary.

**5.2.1 अनुमोदन प्राप्त करने के समय लेखापरीक्षा समिति को किए जाने वाले प्रकटनों का विस्तार और तरीका -
Extent and manner of disclosures to be made to the Audit Committee at the time of seeking approval:**

- a) यूनिट का नाम / Name of the Unit,
- b) संबंधित पक्षकार का नाम और सूचीबद्ध सत्व या उसकी सहायक के साथ उसके संबंध जिसमें उसके सत्व या हित (वित्त या अन्यथा) का स्वरूप शामिल हो,
Name of the Related Party, and its relationship with the listed entity or its subsidiary including nature of its concern or interest (finance or otherwise),
- c) प्रस्तावित लेनदेन की प्रकृति और अवधि (विशेष अवधि निर्दिष्ट की जाएगी),
Nature & Tenure of the proposed transaction (particular tenure shall be specified),
- d) प्रस्तावित लेनदेन का प्रकार, महत्वपूर्ण निबंधन और विवरण,
Type, material terms and particulars of the proposed transaction,
- e) प्रस्तावित लेनदेन का मूल्य / Value of the proposed Transaction.
- f) सांकेतिक आधार मूल्य या वर्तमान अनुबंधित मूल्य और कीमत में विभिन्नता का फार्मूला, यदि कोई हो।
the indicative base price or current contracted price and the formula for variation in the price, if any,
- g) कीमत निर्धारण के आधार, चाहे वह स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर हो और कारोबार के सामान्य क्रम में ही,
Basis of Price Determination, Whether at Arm's Length basis and in the ordinary course of business.,
- h) पिछले वित्तीय वर्ष के लिए, जिसे प्रस्तावित लेनदेन के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है और एक सहायक को शामिल करने वाले आरपीटी के लिए, एकल आधार पर सहायक के वार्षिक कारोबार के आधार पर परिकल्पित ऐसा प्रतिशत अतिरिक्त रूप से प्रदान किया जाएगा।
The percentage of the listed entity's annual consolidated turnover, for the immediately preceding financial year, that is represented by the value of the proposed transaction and for a RPT involving a subsidiary, such percentage calculated on the basis of the subsidiary's annual turnover on a standalone basis shall be additionally provided.

- i) यदि लेनदेन सूचीबद्ध सत्व या उसकी सहायक कंपनी द्वारा दिए गए या दिए गए किसी ऋण, अंतर-कार्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है -
If the transaction relates to any loans, inter-corporate deposits, advances or investment made or given by the listed entity or its subsidiary:
- i. यानी प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में निधि के स्रोत का विवरण।
details of the source of funds in connection with the proposed transaction.
 - ii. जहां ऋण देने या देने, अंतर-कार्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश करने के लिए कोई वित्तीय ऋणग्रस्तता पैदा होती है।
where any financial indebtedness is incurred to make or give loans, inter-corporate deposits, advances or investments,
 - ऋणग्रस्तता की प्रकृति / Nature of indebtedness
 - निधियों की लागत और / Cost of funds and
 - अवधि / tenure
 - iii. प्रसंविदाओं, अवधि, ब्याज दर और पुनर्भुगतान अनुसूची सहित लागू होने वाले निबंधन, चाहे वे रक्षित हों या अरक्षित, यदि सुरक्षित हों, सुरक्षा की प्रकृति,
Applicable terms, including covenants, tenure, interest rate and repayment schedule, whether secured or unsecured; if secured, the nature of security;
 - iv. वह उद्देश्य जिसके लिए निधि का उपयोग आरपीटी के अनुसार ऐसे निधियों के अंतिम लाभार्थी द्वारा किया जाएगा।
the purpose for which the funds will be utilized by the ultimate beneficiary of such funds pursuant to the RPT,
- j) इस बात को न्यायसंगत ठहराना कि आरपीटी सूचीबद्ध सत्व के हित में क्यों है,
Justification as to why the RPT is in the interest of the listed entity,
- k) प्रतिपक्षकार के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जिसे स्वैच्छिक आधार पर प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा दर्शाया गया है,
Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT on a voluntary basis,
- l) मूल्यांकन या अन्य बाहरी पक्षकार की रिपोर्ट की प्रति, यदि ऐसी किसी रिपोर्ट पर भरोसा किया गया है,
A copy of the valuation or other external party report, if any such report has been relied upon,
- m) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए लेखापरीक्षा समिति के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।
any other information relevant or important for the Audit Committee to take a decision on the proposed transactions.

5.2.2 सर्वव्यापी अनुमोदन / Omnibus Approval

लेखापरीक्षा समिति नीचे निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार और सेबी (एलओडीआर) विनियमों के विनियम 23 और कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमों के नियम 6ए में समाविष्ट अन्य शर्तों के अनुपालन के अधीन रहते हुए बीईएल और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए जाने वाले संबंधित पक्षकार लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान कर सकती है।

Audit Committee may grant omnibus approval for Related Party Transactions likely to be entered into by BEL and its Subsidiaries as per the Criteria specified below and subject to compliance with other conditions contained in Regulation 23 of SEBI (LODR) Regulations and Rule 6A of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules including the amendments thereto.

सर्वव्यापी अनुमोदन प्रदान करने के मानदंड -

Criteria for granting the omnibus approval:

- a) कुल लेनदेन का अधिकतम मूल्य, जिसकी अनुमति किसी वित्तीय वर्ष में सर्वव्यापी रूट के तहत दी जा सकती है।
Maximum value of the transactions, in aggregate, which can be allowed under the omnibus route in a financial year;
- वस्तुओं और सेवाओं की बिक्री के मामले में - रु. 1,000 करोड़ तक
In case of Sale of Goods & Services: Upto Rs 1,000 Crore.
 - वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के मामले में - रु. 1,000 करोड़ तक
In case of Purchase of Goods & Services: Upto Rs 1,000 Crore.
- b) प्रति लेनदेन का अधिकतम मूल्य जो वर्ष में सर्वव्यापी मार्ग के तहत अनुमत किया जा सकता है -
The maximum value per transaction which can be allowed under omnibus route in a year:
- वस्तुओं एवं सेवाओं की बिक्री के मामले में- सीपीएसयू के मामले में रु. 400 करोड़ तक और अन्य पक्षकारों के मामले में रु. 200 करोड़ तक
In case of Sale of Goods & Services: Upto Rs400 Crore in case of CPSUs and Rs200 Crore in case of other parties.
 - वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में- सीपीएसयू के मामले में रु. 400 करोड़ तक और अन्य पक्षकारों के मामले में रु. 200 करोड़ तक
In case of Purchase of Goods & Services: Upto Rs 400 Crore in case of CPSUs and Rs 200 Crore in case of other parties.
- c) जहां संबंधित पक्षकार लेनदेन की आवश्यकता नहीं हो सकती है और उपर्युक्त विवरण उपलब्ध नहीं है, वहां लेखापरीक्षा समिति ऐसे लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन कर सकती है बशर्ते कि उनका मूल्य प्रति लेनदेन एक करोड़ रुपये से अधिक न हो।
Where the need for related party transaction cannot be foreseen and aforesaid details are not available, audit committee may make omnibus approval for such transactions subject to their value not exceeding rupees one Crore per transaction.
- d) लेखापरीक्षा समिति पुनरावृत्त प्रकृति के लेनदेन के लिए सर्वव्यापी अनुमोदन की आवश्यकता पर स्वयं को संतुष्ट करेगी और यह कि ऐसा अनुमोदन कंपनी के हित में है।
The Audit Committee shall satisfy itself on the need for omnibus approval for transactions of repetitive nature and that such approval is in the interest of the Company.

प्रदान किया गया सर्वव्यापी अनुमोदन एक वित्तीय वर्ष से अधिक की अवधि के लिए वैध होगा और ऐसे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर नए सिरे से अनुमोदन की आवश्यकता होगी।

The omnibus approval granted shall be valid for a period not exceeding a financial year and shall require fresh approval on the expiry of such financial year.

5.2.3 अन्य लेनदेन / Other Transactions

ऐसे लेनदेन जो लेखापरीक्षा समिति द्वारा सर्वव्यापी अनुमोदित न किए गए हों-

Transactions which cannot be subject to the omnibus approval by the Audit Committee:

- i. ऐसे लेनदेन जो दोहराव रहित प्रकृति के हों।
Transactions which are non-repetitive in nature .
- ii. कंपनी के उपक्रम की विक्री और निपटान के संबंध में लेनदेन।
Transactions in respect of selling and disposing of the undertaking of the company.
- iii. कोई स्वतंत्र संव्यवहार न हो।
Not an arm's length transaction.
- iv. व्यवसाय के सामान्य क्रम में न हो।
Not in ordinary course of business.
- v. समय-समय पर लगाए गए अन्य सांविधिक प्रतिबंध।
Any other statutory restrictions imposed from time to time.

5.2.4 किए गए प्रत्येक अनुमोदन के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए पक्षकार लेनदेन से संबंधित समीक्षा की आवधिकता-तिमाही समीक्षा।

Periodicity of Review of related party transaction entered into by the Company and its subsidiaries pursuant to each of approval made: Quarterly Review.

दिए गए सर्वव्यापी अनुमोदन के अनुसार कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा किए गए संबंधित पक्षकार लेनदेन की समीक्षा करने के लिए, लेखापरीक्षा समिति को वास्तविक संबंधित पक्षकार लेनदेन के संबंध में प्रासंगिक सीमा तक आवश्यक सूचना प्रदान की जाएगी।

To review a Related Party Transaction entered into by the Company and its subsidiaries in pursuant to the omnibus approval given, the Audit Committee shall be provided with the necessary information, to the extent relevant, with respect to actual Related Party Transactions.

5.2.5 लेखापरीक्षा समिति वार्षिक आधार पर दीर्घकालिक (एक वर्ष से अधिक) या आवर्ती आरपीटी की स्थिति की समीक्षा भी करेगी।

The audit committee shall also review the status of long-term (more than one year) or recurring RPTs on an annual basis.

5.2.6 अन्य कोई सूचना जो प्रासंगिक हो।

Any other information that may be relevant.

II) निदेशक मंडल / Board of Directors

- i. अधिनियम की धारा 188 के तहत निर्दिष्ट सभी संबंधित पक्षकार लेनदेन (और बाद के संशोधन, यदि कोई हो) निदेशक मंडल की बैठक में पारित प्रस्तावों के माध्यम से, तब तक निदेशक मंडल के पूर्व अनुमोदन के अधीन होंगे जब तक कि लेनदेन न किए गए हों।

All Related Party Transactions (and subsequent modifications, if any) specified under section 188 of the Act shall be subject to prior approval of the Board of Directors, by way of resolutions passed at Board Meetings, unless the transactions are entered into

- "व्यवसाय के सामान्य क्रम में" और
In the "Ordinary course of business" and
 - स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर किए जाते हैं।
are conducted on Arm's length basis.
- ii. इसके अलावा, यदि लेखापरीक्षा समिति यह निर्धारित करती है कि संबंधित पक्षकार लेनदेन मंडल के समक्ष लाया जाएगा, या यदि किसी भी मामले में मंडल ऐसे किसी मामले की समीक्षा करने का निर्णय लेता है या किसी कानून के तहत संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन करना मंडल के लिए अनिवार्य है तो मंडल ऐसे संबंधित पक्षकार लेनदेन पर विचार करेगा और उसका अनुमोदन करेगा।
In addition, if the Audit Committee determines that a Related Party Transaction should be brought before the Board, or if the Board in any case decides to review any such matter or it is mandatory under any law for Board to approve the Related Party Transaction, then the Board shall consider and approve such Related Party Transaction(s).
- iii. संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के तहत आने वाले निदेशक संबंधित पक्षकार के लेनदेन के प्रस्ताव को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे चाहे निदेशक किसी विशेष लेनदेन के पक्षकार हों या न हों।
Director's falling under the definition of Related parties shall not vote to approve the relevant Related Party Transactions resolution irrespective of whether the director is a party to the particular transaction or not.
- iv. कंपनी (मंडल की बैठकें और उसकी शक्तियां) नियमों के नियम 15 (1) के अनुसरण में, उनमें किए गए संशोधनों सहित, मंडल की बैठक की कार्यसूची जिसमें संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुमोदन / समीक्षा करने का प्रस्ताव किया गया है, निम्नलिखित को प्रकट करेगी -
In pursuance of Rule 15 (1) of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules including the amendments thereto, the agenda of the Board meeting at which the resolution is proposed to approve /review a Related Party Transaction, shall disclose-
- a) संबंधित पक्षकार का नाम और संबंध की प्रकृति,
the name of the related party and nature of relationship,
 - b) ठेके की प्रकृति, अवधि और ठेके या व्यवस्था के विवरण,
the nature, duration of the contract and particulars of the contract or arrangement,
 - (c) मूल्य, यदि कोई हो, सहित ठेके या व्यवस्था के सारभूत निबंधन,
the material terms of the contract or arrangement including the value, if any,
 - (d) ठेका या व्यवस्था, यदि कोई हो, के लिए अदा किया गया या प्राप्त किया गया कोई अग्रिम,
any advance paid or received for the contract or arrangement, if any,
 - (e) कीमत निर्धारण और अन्य वाणिज्यिक निबंधन, दोनों संविदा के भाग के रूप में शामिल किए गए हैं और संविदा के भाग के रूप में नहीं माने गए हैं, को निर्धारित करने की रीति,
the manner of determining the pricing and other commercial terms, both included as part of contract and not considered as part of the contract,
 - (f) क्या ठेके से संबंधित सभी कारकों पर विचार किया गया है, यदि नहीं, तो क्या उन कारकों पर विचार न करने के औचित्य के साथ विचार नहीं किए गए कारकों के विवरण, और
whether all factors relevant to the contract have been considered, if not, the details of factors not considered with the rationale for not considering those factors, and
 - (g) प्रस्तावित लेनदेन पर निर्णय लेने के लिए मंडल के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।
any other information relevant or important for the Board to take a decision on the proposed transaction.

III) शेयरधारक / Shareholders:

a) कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत / Under the Companies Act, 2013

समय-समय पर कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियों) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के साथ पठित अधिनियम की धारा 188 (1) के तहत निर्दिष्ट ऊपरी सीमा को पार करने पर, अधिनियम की धारा 188 (स्वतंत्र संव्यवहार के आधार पर व्यवसाय के सामान्य क्रम में किए गए कार्यों के अलावा) के तहत निर्दिष्ट संबंधित पक्षकार लेनदेन (और बाद के संशोधन, यदि कोई हो) करने के लिए संकल्प के रूप में शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

Prior approval of the Shareholders by way of a resolution shall be obtained for entering into Related Party Transactions (and subsequent modifications, if any) specified under section 188 of the Act (other than those entered into in the Ordinary Course of Business and on Arm's length basis) if they exceed the threshold limits specified under Section 188 (1) of the Act read with Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 (as amended) from time to time.

सरकारी अधिसूचना सं. जीएसआर 463 (ई) दिनांक 05.06.2015 के अनुसरण में, कंपनी द्वारा किसी अन्य सरकारी कंपनी के साथ किए गए लेनदेन के संबंध में कोई संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

In pursuance of the Govt. Notification No. GSR 463 (E) dated 05.06.2015, no resolution is required to be passed in respect of transaction entered into by the Company with another Government Company.

अधिनियम की धारा 188 (1) के चौथे परंतुक के अनुसरण में, धारक कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन के संबंध में कोई संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है जिनके खाते ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और जिन्हें अनुमोदन के लिए आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष रखा गया है।

In pursuance of fourth proviso to Section 188 (1) of the Act, no resolution is required to be passed in respect of transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.

कंपनी (मंडल की बैठक और उसकी शक्तियां) नियम, 2014 (यथा संशोधित) के नियम 15 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसरण में, आम बैठक की सूचना के साथ संलग्न किए जाने वाले व्याख्यात्मक कथन में निम्नलिखित विवरण होंगे, नामतः -

In pursuance of Explanation 3 to Rule 15 of Companies (Meetings of Board and its Powers) Rules, 2014 (as amended), the explanatory statement to be annexed to the notice of a general meeting shall contain the following particulars, namely: -

- a) संबंधित पक्षकार का नाम
name of the related party .
- b) निदेशक या प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का नाम जो संबंधित हैं, यदि कोई हो।
name of the director or key managerial personnel who is related, if any,.
- c) संबंध की प्रकृति,
nature of relationship,
- d) प्रकृति, महत्वपूर्ण शर्तें, मौद्रिक मूल्य और ठेके या व्यवस्था के विवरण,
Nature, material terms, monetary value and particulars of the contract or arrangement,

- e) इस बात का औचित्य कि क्यों प्रस्तावित लेनदेन सूचीबद्ध सत्व के हित में है।
Justification for why the proposed transaction is in the interest of the listed entity,
- f) स्वैच्छिक आधार पर प्रति-पक्षकार के वार्षिक समेकित कारोबार का प्रतिशत जिसका प्रतिनिधित्व प्रस्तावित आरपीटी के मूल्य द्वारा किया जाता है।
Percentage of the counter-party's annual consolidated turnover that is represented by the value of the proposed RPT, on a voluntary basis.
- g) सूचीबद्ध सत्व के प्रबंधन द्वारा लेखापरीक्षा समिति को दी गई सूचना का सार-संक्षेप।
A summary of the information provided by the management of listed entity to the audit committee.
- h) यदि लेनदेन अपनी सहायक कंपनी के सूचीबद्ध निकाय द्वारा दिए गए किसी ऋण, अंतर-कार्पोरेट जमा, अग्रिम या निवेश से संबंधित है, तो लेखापरीक्षा समिति को प्रदान किए गए विवरण शेयरधारकों को प्रस्तुत किए जाएंगे।
Where the transaction relates to any loans, inter-corporate deposits, advances or investments made or given by the listed entity of its subsidiary, the details specified as provided to audit committee shall be submitted to Shareholders.
- i) कथन कि प्रस्तावित लेनदेन के संबंध में सूचीबद्ध सत्व द्वारा मूल्यांकन या अन्य बाहरी रिपोर्ट, यदि कोई हो, पर भरोसा किया गया है तो शेयरधारकों के पंजीकृत ईमेल पते के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा।
A statement that the valuation or other external report, if any, relied upon by the listed entity in relation to the proposed transaction will be made available through the registered email address of the shareholders,.
- j) प्रस्तावित संकल्प पर निर्णय लेने के लिए सदस्यों के लिए प्रासंगिक या महत्वपूर्ण कोई अन्य सूचना।
any other information relevant or important for the members to take a decision on the proposed resolution.

उपर्युक्त ऊपरी सीमा किसी वित्तीय वर्ष के दौरान व्यक्तिगत रूप से किए जाने वाले या पिछले लेनदेन के साथ लिए जाने वाले लेनदेन या लेनदेन पर लागू होगी। उपर्युक्त कुल कारोबार की गणना पिछले वित्तीय वर्ष के लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के आधार पर की जाएगी।

The above threshold limits shall apply to transaction or transactions to be entered into individually or taken together with previous transactions during a financial year. The Turnover above shall be computed on the basis of the Audited Financial Statements of the preceding financial year.

संबंधित पक्षकारों की परिभाषा के तहत आने वाले सभी सत्व संबंधित पक्षकार लेनदेन के संकल्प को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेंगे चाहे सत्व किसी विशेष लेनदेन का पक्षकार हो या न हो।

All entities falling under the definition of Related parties shall not vote to approve the relevant Related Party Transactions resolution irrespective of whether the entity is a party to the particular transaction or not.

b) सेबी (एलओडीआर) विनियमों के तहत / Under SEBI (LODR) Regulations

विनियम 23 के अनुसरण में, सभी महत्वपूर्ण पक्षकार लेनदेन और अनुवर्ती सारभूत परिवर्तनों के लिए संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी और कोई भी संबंधित पक्षकार ऐसे संकल्पों को अनुमोदित करने के लिए मतदान नहीं करेगा चाहे सत्व विशेष लेनदेन से संबंधित पक्षकार हो या न हो।

In pursuance of Regulation 23, all material related party transactions and subsequent material modifications shall require prior approval of the shareholders through resolution and no related

party shall vote to approve such resolutions whether the entity is related party to the particular transaction or not.

बहरहाल, निम्नलिखित लेनदेन -

However, the following transaction: -

- (i) सार्वजनिक क्षेत्र की दो कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन।
transactions entered into between two Public Sector Companies.
- (ii) धारक कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन (जिनके खाते ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और आम बैठक में शेयरधारकों के समक्ष अनुमोदन के लिए रखे गए हैं)।
transactions entered into between a Holding Company and its wholly owned Subsidiary (whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval).
- (iii) सूचीबद्ध धारक कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन (जिनके खाते ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और जिन्हें आम बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखा गया है)।
transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company (whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval).
- (iv) ऐसे लेनदेन जो एक ओर किसी सत्व और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी संयोजन के बीच किए गए सांविधिक देय राशि, सांविधिक शुल्क या सांविधिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के हैं।
transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.
- (v) एक ओर सरकारी क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी संयोजन के बीच किए गए लेनदेन।
transactions entered into between a public sector company on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.

शेयरधारकों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी।

Shall not require approval of Shareholders.

इस उप खंड के तहत निर्दिष्ट आवश्यकताएं दिवाला संहिता की धारा 31 के तहत अनुमोदित समाधान योजना के संबंध में लागू नहीं होंगी, बशर्ते कि संकल्प योजना अनुमोदित होने के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को इसकी सूचना दी जाए।

The requirements specified under this sub-clause shall not apply in respect of a resolution plan approved under section 31 of the Insolvency Code, subject to the event being disclosed to the recognized stock exchanges within one day of the resolution plan being approved.

वार्षिक आम बैठक में पक्षकारों से संबंधित महत्वपूर्ण लेनदेन के लिए शेयरधारकों द्वारा दिया गया सर्वव्यापी अनुमोदन कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 या उसके तहत समय-समय पर जारी नियमों, अधिसूचनाओं या परिपत्रों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर आयोजित अगली वार्षिक आम बैठक की तारीख तक वैध होगा।

The omnibus approval granted by the shareholders for material related party transactions in an annual general meeting shall be valid till the date of the next annual general meeting held within the timelines prescribed under Section 96 of the Companies Act, 2013 or rules, notifications, or circulars issued thereunder from time to time.

वार्षिक आम बैठक के अलावा सामान्य बैठकों में शेयरधारकों द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण पक्षकार लेनदेन से संबंधित सर्वव्यापी स्वीकृतियों के मामले में, ऐसे सर्वव्यापक स्वीकृतियों की वैधता ऐसे अनुमोदन की तारीख से एक वर्ष से अधिक नहीं होगी।

In case of omnibus approvals for material related party transactions, granted by shareholders in general meetings other than annual general meeting, the validity of such omnibus approvals shall not exceed one year from the date of such approval.

ऊपर संदर्भित किसी सूचीबद्ध सहायक कंपनी की गैर-सूचीबद्ध सहायक कंपनियों के संबंधित पक्षकार लेनदेन के लिए, सूचीबद्ध सहायक कंपनी के शेयरधारकों का पूर्व अनुमोदन पर्याप्त होगा।

For related party transactions of unlisted subsidiaries of a listed subsidiary as referred above, the prior approval of the shareholders of the listed subsidiary shall suffice.

6. संबंधित पक्षकार के लेनदेन जो इस नीति के तहत स्वीकार्य नहीं है

RELATED PARTY TRANSACTIONS NOT APPROVED UNDER THIS POLICY

लेखापरीक्षा समिति के सदस्य, जो स्वतंत्र निदेशक हैं, लेनदेन की तारीख से तीन महीनों के भीतर या लेखापरीक्षा समिति की तत्काल अगली बैठक में, जो भी पहले हो, संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुसमर्थन कर सकते हैं, जो भी निम्नलिखित शर्तों के अधीन होंगे-

The members of the audit committee, who are independent directors, may ratify related party transactions within three months from the date of the transaction or in the immediate next meeting of the audit committee, whichever is earlier, subject to the following conditions:

- i. यानी किसी वित्तीय वर्ष के दौरान संबंधित पक्षकार के साथ किए गए अनुसमर्थित लेनदेन का मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा, चाहे वह व्यक्तिगत रूप से किया गया हो या एक साथ लिया गया हो।
the value of the ratified transaction(s) with a related party, whether entered into individually or taken together, during a financial year shall not exceed rupees one Crore;
- ii. इस विनियम के उप-विनियम (1) के प्रावधानों के अनुसार लेनदेन महत्वपूर्ण नहीं है।
the transaction is not material in terms of the provisions of sub-regulation (1) of this regulation;
- iii. संव्यवहार के लिए पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने में असमर्थता का औचित्य अनुसमर्थन मांगने के समय लेखापरीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा,
rationale for inability to seek prior approval for the transaction shall be placed before the audit committee at the time of seeking ratification;
- iv. इस विनियम के उप-विनियमन (9) के प्रावधानों के अनुसार संबंधित पक्षकार लेनदेन के प्रकटण के साथ-साथ अनुसमर्थन के विवरण प्रकट किए जाएंगे,
the details of ratification shall be disclosed along with the disclosures of related party transactions in terms of the provisions of sub-regulation (9) of this regulation;
- v. लेखापरीक्षा समिति द्वारा निर्दिष्ट कोई अन्य शर्त -
Any other condition as specified by the audit committee;

बशर्ते कि लेखापरीक्षा समिति का अनुसमर्थन प्राप्त न करने से संव्यवहार लेखापरीक्षा समिति के विकल्प पर अमान्यकारी हो जाएगा और यदि संव्यवहार किसी निदेशक से संबंधित पक्षकार के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत किया गया है, तो संबंधित निदेशक सूचीबद्ध सत्व को होने वाली हानि के समक्ष क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

Provided that failure to seek ratification of the audit committee shall render the transaction voidable at the option of the audit committee and if the transaction is with a related party to any director, or is authorized by any other director, the director(s) concerned shall indemnify the listed entity against any loss incurred by it.

उप-विनियमों के प्रावधान निम्नलिखित मामलों में लागू नहीं होंगे -

The provisions of sub-regulations shall not be applicable in the following cases:

a. दो सरकारी क्षेत्र की कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन,

transactions entered into between two public sector companies,.

b. धारक कंपनी और उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी के बीच किए गए लेनदेन जिनके खाते ऐसे धारक कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और जिन्हें आम बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखा गया है।

transactions entered into between a holding company and its wholly owned subsidiary whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.

c. सूचीबद्ध धारक कंपनी की दो पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों के बीच किए गए लेनदेन जिनके खाते ऐसी धारक कंपनी के साथ समेकित किए गए हैं और जिन्हें आम बैठक में अनुमोदन के लिए शेयरधारकों के समक्ष रखा गया है।

transactions entered into between two wholly-owned subsidiaries of the listed holding company, whose accounts are consolidated with such holding company and placed before the shareholders at the general meeting for approval.

d. ऐसे लेनदेन जो एक ओर किसी सत्व और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उनके किसी संयोजन के बीच किए गए सांविधिक देय राशि, सांविधिक शुल्क या सांविधिक प्रभारों के भुगतान की प्रकृति के हैं।

transactions which are in the nature of payment of statutory dues, statutory fees or statutory charges entered into between an entity on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.

e. यानी एक ओर सरकारी क्षेत्र की कंपनी और दूसरी ओर केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार या उसके किसी संयोजन के बीच किए गए लेनदेन।

transactions entered into between a public sector company on one hand and the Central Government or any State Government or any combination thereof on the other hand.

लेखापरीक्षा समिति संबंधित पक्षकार लेनदेन से संबंधित सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करेगी और संबंधित पक्षकार लेनदेन का अनुसमर्थन, संशोधन या समापन सहित कंपनी के लिए उपलब्ध सभी विकल्पों का मूल्यांकन करेगी। समिति मामले के तथ्यों और परिस्थितियों की जांच कर सकती है और ऐसी कोई कार्रवाई कर सकती है जो वह उचित समझे।

The Audit Committee shall consider all of the relevant facts and circumstances regarding the Related Party Transaction, and shall evaluate all options available to the Company, including ratification, revision or termination of the Related Party Transaction. The Committee may examine the facts and circumstances of the case and take any such action it deems appropriate.

यदि ऐसे लेनदेन का अनुमोदन तीन महीने की उपर्युक्त निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं किया जाता है तो ऐसा ठेका या प्रबंध मंडल के विकल्प पर शून्यकरणीय होगा और यदि ठेका या प्रबंध किसी निदेशक से संबंधित पक्षकार के साथ है या किसी अन्य निदेशक द्वारा प्राधिकृत है तो संबंधित निदेशक कंपनी को उसके द्वारा उपगत हानि के लिए क्षतिपूर्ति प्रदान करेंगे।

If the approval of such transactions is not obtained within the above specified time limit of three months, such contract or arrangement shall be voidable at the option of the Board and if the contract or arrangement is with a related party to any director, or is authorized by any other director, the director/s concerned shall indemnify the company against any loss incurred by it.

इसके अलावा, कंपनी ऐसे निदेशक या किसी अन्य कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र होगी जिसने ऐसे ठेके या प्रबंध के परिणामस्वरूप उसके द्वारा उठाए गए किसी नुकसान की वसूली के लिए अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ऐसा ठेका या प्रबंध किया था।

Also, it shall be open to the company to proceed against a director or any other employee who had entered into such contract or arrangement in contravention of the provisions of section 188 of the Act for recovery of any loss sustained by it as a result of such contract or arrangement.

किसी कंपनी का निदेशक या कोई अन्य कर्मचारी जिसने अधिनियम की धारा 188 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ठेका या व्यवस्था की है या उसे प्राधिकृत किया है, एक वर्ष तक की अवधि के कारावास से या पच्चीस हजार रुपये से कम के जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये से कम का नहीं होगा लेकिन पांच लाख रुपये तक का हो सकता है, या दोनों से दंडनीय होगा।

Any director or any other employee of a company, who had entered into or authorized the contract or arrangement in violation of the provisions of section 188 of the Act shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to one year or with fine which shall not be less than twenty-five thousand rupees but which may extend to five lakhs rupees, or with both.

7. प्रकटन / DISCLOSURES

संबंधित पक्षकारों के साथ सभी प्रकार के महत्वपूर्ण लेनदेन का विवरण कार्पोरेट गवर्नेंस पर अनुपालन रिपोर्ट के साथ तिमाही रूप से स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाएगा। मंडल द्वारा अनुमोदित किसी संबंधित पक्षकार के साथ किया गया प्रत्येक ठेका या प्रबंध ऐसे ठेका या प्रबंध करने के औचित्य के साथ-साथ शेयरधारकों को मंडल की रिपोर्ट में प्रकट किया जाएगा। कंपनी अपनी वेबसाइट और वेब-लिंक पर संबंधित पक्षकार के लेनदेन से निपटने की नीति को प्रकट करेगी।

Details of all Material transactions with Related Parties shall be disclosed to stock exchanges quarterly along with the compliance report on corporate governance. Every Contract or Arrangement with a Related Party approved by the Board shall be disclosed in the Board's report to the shareholders along with the justification for entering into such Contract or Arrangement. The Company shall disclose the policy on dealing with Related Party Transactions on its website and web-link shall be provided in the Annual Report.

कंपनी समय-समय पर सेबी में निर्दिष्ट प्रारूप में समेकित आधार पर अपने अर्द्ध वर्ष के एकल और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन के दिन स्टॉक एक्सचेंजों को संबंधित पक्षकार लेनदेन का प्रकटन भी प्रस्तुत करेगी और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी।

Company shall also submit on the day of publication of its Standalone and consolidated financial results for the half year, disclosure of related party transactions on a consolidated basis, in the format specified in the SEBI from time to time to the stock exchanges and publish the same on its website.



8. कानून में संशोधन / AMENDMENTS IN LAW

निदेशक मंडल तीन वर्षों में कम से कम एक बार (संबंधित पक्षकारों की भौतिकता सहित) इस नीति की समीक्षा करेगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कंपनी अधिनियम, 2013, उसके तहत नियमों, सूचीबद्धता विनियमों और इस संबंध में किसी अन्य लागू कानूनों के संबंधित प्रावधानों में किसी भी अनुवर्ती संशोधन / संशोधन का पालन करने के लिए इस नीति को उपयुक्त रूप से संशोधित/अद्यतन किया गया है।

The Board of Director shall review this policy at least once in three years (including on materiality of Related parties) to ensure that the policy is suitably modified / updated to comply with any subsequent amendment / modification in the relevant provisions of the Companies Act, 2013, rules there under, Listing Regulations and any other applicable laws in this regard.

9. यह कार्यालय आदेश पिछले कार्यालय आदेश सं. प्रका/069/004 दिनांक 29.03.2025 (यथा संशोधित) को अधिक्रमित करता है।

This Office Order supersedes the earlier Office Order No. HO/069/004 dated 29.03.2025 (as amended)



महाप्रबंधक (मानव संसाधन)
GENERAL MANAGER (HR)
श्री.

ई.डी. / जी.एम. / सी.टी.ओ. / सी.एस
यूनिट एच.आर. / वित्त प्रमुख
आर.ओ. / एम.सी. प्रमुख
कंपनी सचिव

EDs / GMs / CTOs / CS
UNIT HR / FINANCE HEADS
RO / MC HEADS
COMPANY SECRETARY

सीएमडी डी (एफ) डी (मार्केटिंग) डी (बीसी) डी (आर एंड डी) डी (ओयू) डी (एचआर) सीवीओ
CMD D (F) D (Mktg) D (BC) D (R&D) D (OU) D(HR) CVO